भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1478

दिनांक 01.01.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्राम पंचायतों को नल से जल सुविधाएं प्रदान करना

1478. श्री मेघराज जैनः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा किसी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में नल से जल आपूर्ति की सुविधा प्रदान की गई है, यदि हां, तो उक्त योजना का मध्य प्रदेश सहित राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश की शेष ग्राम–पंचायतों में उक्त सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में कार्य–योजना का ब्यौरा क्या है और क्या इस कार्य को पूर्ण करने के लिए क्या कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) मंत्रालय ग्रामीण बसावटों की दृष्टि से सूचना का रख-रखाव करता है और न कि ग्राम पंचायतों की दृष्टि से। राज्यों द्वारा इस मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दी गई सूचना के अनुसार नल जल आपूर्ति से कवर की गई बसावटों और आबादी का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में है।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना एक गतिशील प्रक्रिया है। ग्रामीण बसावटों का कवरेज बहुत से कारकों यथा जल स्रोतों की उपलब्धता, निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम दिशा-निर्देश को प्रतिस्पर्धी, परिणाम आधारित और परिणाम अभिमुख बनाने के लिए उसका पुनर्गठन किया है। पुनर्गठित एनआरडीडब्ल्यूपी के अनुसार मंत्रालय का बल नल जल आपूर्ति (पीडब्ल्यूएस) स्कीमों पर है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने संसद आदर्श ग्राम योजना गांवों, आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावट और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांवों हेतु बनाई गई स्कीमों को प्राथमिकता देते हुए उन स्कीमों को पूरा करने के लिए राज्यों को निदेश दिए हैं जो पूरा होने के अंतिम चरण पर है। राज्यों को 14वें वित्तीय आयोग के अंतर्गत 32% से बढ़कर 42% हो चुके निधियों के बढ़े हुए हस्तान्तरण में से पेयजल आपूर्ति क्षेत्र हेतु राज्य वित्तीय विभागों से और अधिक निधियां जुटाने का सुझाव दिया गया है। मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी)-2030 हेतु सहमति जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय फॉरम में देश द्वारा की गई प्रतिबद्धता का सम्मान रखते हुए अंततः वर्ष 2030 तक ग्रामीण आबादी को नल जल आपूर्ति और घरेलू कनेक्शन से कवर करने पर बल देने की मंशा रखता है।

अनुलग्नक

01.01.2018 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1478 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य	बसावटों की कुल संख्या	कुल ग्रामीण आबादी (लाखों में)	पीडब्ल्यूएस वाली कुल बसावटें	पीडब्ल्यूएस आबादी (लाखों में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	400	2.65	260	2.41
2	आंध्र प्रदेश	48363	366.35	38971	347.95
3	अरुणाचल प्रदेश	7582	12.46	3614	7.51
4	असम	88099	296.58	35523	138.8
5	बिहार	110234	994.56	7660	118.69
6	छत्तीसगढ़	74685	197.96	24703	106.25
7	गोवा	347	7.31	201	5.02
8	गुजरात	36066	371.18	32927	355.73
9	हरियाणा	7948	183.62	7831	182.59
10	हिमाचल प्रदेश	53604	66.86	51888	63.83
11	जम्मू एवं कश्मीर	15958	102.17	14933	96.23
12	झारखंड	120764	272.64	19066	77.82
13	कर्नाटक	60248	402.78	49504	389.67
14	केरल	21551	465.34	21435	462.9
15	मध्य प्रदेश	128061	528.14	22071	210.56
16	महाराष्ट्र	99732	638.43	68081	536.55
17	मणिपुर	3788	25.79	2681	22.4
18	मेघालय	10475	26.68	6093	18.36
19	मिजोरम	738	5.23	668	4.87
20	नागालैंड	1452	16.77	1347	15.66
21	उड़ीसा	157773	358.97	41009	161.88
22	पुदुचेरी	266	4.38	215	3.64
23	पंजाब	15384	179.9	13955	174.76
24	राजस्थान	121648	508.07	44594	281.16
25	सिक्किम	2084	4.59	2078	4.58
26	तमिलनाडु	100204	396.18	99052	393.12
27	तेलंगाना	24562	226.41	22079	220.84
28	त्रिपुरा	8723	44.92	6819	39.37
29	उत्तर प्रदेश	260027	1673.62	25015	268.37
30	उत्तराखंड	39360	72.12	37447	53.48
31	पश्चिमी बंगाल	105905	746.46	51060	416.54
कुल		**1726031**	**9199.12**	**752780**	**5181.54**
प्रतिशत				**43.61**	**56.33**

(स्रोत: फॉर्मेट सी-17)